



भारतीय संसद

राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना
राज्य सभा का दो सौ बीसवां सत्र
(26 जुलाई, 2010 से 31 अगस्त, 2010 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

2010

भारतीय संसद
राज्य सभा



सत्यमेव जयते

प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना
राज्य सभा का दो सौ बीसवां सत्र
(26 जुलाई, 2010 से 31 अगस्त, 2010 तक)

राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली

2010

वेबसाईट: <http://rajyasabha.nic.in>
ई-मेल: rsqns@sansad.nic.in

प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य सभा के दो सौ बीसवें सत्र के दौरान प्राप्त हुई प्रश्नों की सूचनाओं और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय सूचना दी गई है। इसमें दस विवरण हैं, जिनमें सत्र के दौरान निपटाए गए प्रश्नों से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई विभिन्न प्रकार की सूचना दी गई है। विवरण संख्या-IX में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो एक नजर में प्रश्नों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली
1 नवम्बर, 2010
10 कार्तिक, 1932 (शक)

विवेक कुमार अग्रिहोत्री,
महासचिव।

	विषय-सूची	पृष्ठ
I	प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या	1
II	सत्र प्रारंभ होने का समाचार जारी होने के पश्चात प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	2-3
II.क	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण	4
III	प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है	5-8
IV	उन विषयों को दर्शानेवाला विवरण जिनके संबंध में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए	9-10
V	तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण	11
VI	अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला सार	12-13
VII	प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण	14
VIII	राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नोत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सारांश	15
IX	राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य	16-18
X	राज्य सभा में प्रश्न काल को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण	19

विवरण-I

प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की कुल संख्या

वर्ग I

कोयला; कारपोरेट कार्य; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास; पर्यावरण और वन; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; सूचना और प्रसारण; विधि और न्याय; खान; अल्पसंख्यक कार्य; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; विद्युत; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; जनजातीय कार्य; महिला एवं बाल विकास। 1618

वर्ग II

नागर विमानन; वित्त; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; भारी उद्योग और लोक उद्यम; पंचायती राज; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; ग्रामीण विकास; पोत परिवहन। 1806

वर्ग III

वाणिज्य और उद्योग; रक्षा; गृह; श्रम और रोजगार; सड़क परिवहन और राजमार्ग; वस्त्र। 1827

वर्ग IV

प्रधानमंत्री; परमाणु ऊर्जा; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी; संस्कृति; पृथ्वी विज्ञान; विदेश; आवास और शहरी गरीबी उपशमन; प्रवासी भारतीय कार्य; संसदीय कार्य; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; योजना; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; सामाजिक न्याय और अधिकारिता; अंतरिक्ष; पर्यटन; शहरी विकास; जल संसाधन; युवक कार्यक्रम और खेल। 1819

वर्ग V

कृषि; रसायन और उर्वरक; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण; मानव संसाधन विकास; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; रेल; इस्पात। 2026

योग

9096

विवरण - II

सत्र प्रारंभ होने का समाचार जारी होने के पश्चात् प्रत्येक तारीख के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	प्राप्त तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	प्राप्त अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	कुल प्राप्त सूचनाएं	हिन्दी में प्राप्त सूचनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	26.07.2010	156	84	240	40
2.	27.07.2010	197	96	293	63
3.	28.07.2010	184	75	259	56
4.	29.07.2010	207	75	282	53
5.	30.07.2010	240	85	325	73
6.	02.08.2010	220	72	292	49
7.	03.08.2010	263	96	359	66
8.	04.08.2010	271	122	393	76
9.	05.08.2010	259	99	358	51
10.	06.08.2010	303	106	409	81
11.	09.08.2010	242	117	359	81
12.	10.08.2010	346	131	477	86
13.	11.08.2010	303	96	399	83
14.	12.08.2010	282	104	386	66

15.	13.08.2010	348	123	471	91
16.	16.08.2010	270	87	357	66
17.	17.08.2010	464	213	677	103
18.	18.08.2010	292	105	397	65
19.	19.08.2010	322	119	441	66
20.	20.08.2010	325	136	461	95
21.	21.08.2010			प्रश्न काल नहीं हुआ	
22.	23.08.2010*	281	89	370	95
23.	25.08.2010	274	105	379	74
24.	26.08.2010	272	80	352	61
25.	27.08.2010	272	88	360	68
26.	30.08.2010			प्रश्न काल नहीं हुआ	
27.	31.08.2010			प्रश्न काल नहीं हुआ	
योग		6593	2503	9096	1708

*बैठक रद्द हुई।

विवरण-II-क

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

प्रश्नों की श्रेणी	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई
तारांकित	6593	460	-	858	2555	6	-	-
अतारांकित	2503	3500+	411++	251	1055	-	-	-
योग	9096	3960	411	1109	3610	6	-	-

+ इसमें 2409 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में स्वीकृत किया गया।

++ इसमें 305 तारांकित प्रश्नों की ऐसी सूचनायें सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के एक रूप में एक से अधिक नामों से स्वीकृत किया गया।

विवरण-III
प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय विवरण जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, प्रश्नों की हिन्दी में प्राप्त हुई सूचनाओं को दर्शाते हैं)

क्रम संख्या	मंत्रालय/ विभाग का नाम	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत तारांकित	गृहीत अतारांकित	एक से अधिक नामों से गृहीत	अस्वीकृत	व्यपगत	सदस्यों को लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रधानमंत्री	71(7)	0(0)	6(2)	1(1)	9(4)	55(0)	-	-	-	-
2.	कृषि	442(88)	16(4)	140(36)	21(8)	32(2)	232(38)	1(0)	-	-	10
3.	परमाणु ऊर्जा	44(13)	3(2)	17(4)	4(4)	10(2)	10(1)	-	-	-	-
4.	रसायन और उर्वरक	110(16)	7(1)	44(6)	6(1)	19(5)	32(3)	2(0)	-	-	-
5.	नागर विमानन	256(44)	16(7)	80(9)	5(0)	36(7)	119(21)	-	-	-	5
6.	कोयला	135(27)	9(1)	45(9)	2(1)	22(1)	57(15)	-	-	-	5
7.	वाणिज्य और उद्योग	318(43)	16(5)	126(22)	15(6)	45(4)	116(6)	-	-	-	17
8.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	297(25)	15(4)	140(13)	8(3)	14(2)	120(3)	-	-	-	13
9.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	318(71)	14(3)	152(41)	32(12)	12(2)	108(13)	-	-	-	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	कारपोरेट कार्य	49(2)	5(0)	15(0)	1(0)	6(0)	22(2)	-	-	-	-
11.	संस्कृति	62(15)	6(1)	30(5)	2(0)	2(1)	22(8)	-	-	-	-
12.	रक्षा	208(38)	11(2)	92(17)	11(5)	50(8)	44(6)	-	-	-	5
13.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	19(1)	2(0)	8(0)	-	2(0)	7(1)	-	-	-	-
14.	पृथ्वी विज्ञान	12(3)	3(1)	7(1)	-	-	2(1)	-	-	-	3
15.	पर्यावरण और वन	371(71)	20(6)	131(20)	8(3)	47(9)	165(33)	-	-	-	19
16.	विदेश	261(44)	19(4)	88(13)	15(5)	41(15)	98(7)	-	-	-	27
17.	वित्त	518(64)	18(2)	149(20)	20(5)	47(11)	284(26)	-	-	-	5
18.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	50(10)	3(1)	18(2)	-	9(0)	20(7)	-	-	-	-
19.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	428(120)	17(4)	182(38)	25(15)	37(15)	167(48)	-	-	-	-
20.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	32(5)	1(0)	11(2)	2(0)	2(0)	16(3)	-	-	-	-
21.	गृह	770(170)	53(10)	266(56)	42(13)	179(29)	230(62)	-	-	-	32
22.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	67(7)	4(1)	26(4)	4(0)	3(1)	30(1)	-	-	-	2
23.	मानव संसाधन विकास	482(113)	26(9)	178(38)	18(5)	20(5)	239(55)	1(0)	-	-	13
24.	सूचना और प्रसारण	114(26)	6(0)	39(8)	3(0)	21(6)	45(12)	-	-	-	5
25.	श्रम और रोजगार	166(26)	8(3)	72(12)	5(1)	15(2)	66(8)	-	-	-	-

26.	विधि और न्याय	193(31)	5(2)	60(9)	5(0)	66(14)	57(6)	-	-	-	1
27.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	51(2)	1(0)	10(1)	-	5(1)	35(0)	-	-	-	-
28.	खान	92(11)	3(0)	39(4)	2(1)	17(0)	31(6)	-	-	-	5
29.	अल्पसंख्यक कार्य	86(16)	4(1)	30(4)	2(0)	22(4)	28(7)	-	-	-	5
30.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	70(11)	4(0)	27(4)	1(0)	9(4)	29(3)	-	-	-	3
31.	प्रवासी भारतीय कार्य	37(3)	2(0)	24(2)	1(1)	4(0)	6(0)	-	-	-	-
32.	पंचायती राज	46(3)	2(0)	18(2)	1(1)	2(0)	23(0)	-	-	-	-
33.	संसदीय कार्य	3(2)	-	-	-	2(2)	1(0)	-	-	-	-
34.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	122(28)	9(2)	53(15)	4(1)	11(2)	45(8)	-	-	-	-
35.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	224(35)	15(4)	84(14)	10(4)	21(2)	94(11)	-	-	-	13
36.	योजना	136(16)	4(0)	70(8)	8(3)	9(1)	45(4)	-	-	-	3
37.	विद्युत	263(84)	11(7)	110(32)	9(5)	45(14)	88(26)	-	-	-	5
38.	रेल	549(107)	36(6)	228(45)	25(9)	47(10)	212(37)	1(0)	-	-	33
39.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	257(67)	8(0)	146(36)	12(6)	23(6)	68(19)	-	-	-	-
40.	ग्रामीण विकास	234(43)	10(2)	75(21)	13(6)	33(4)	103(10)	-	-	-	13
41.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	23(3)	1(0)	11(1)	-	-	11(2)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	पोत परिवहन	68(4)	1(1)	21(0)	2(0)	13(1)	31(2)	-	-	-	-
43.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	148(25)	4(0)	59(14)	7(2)	15(4)	63(5)	-	-	-	4
44.	अंतरिक्ष	12(0)	0(0)	6(0)	0(0)	1(0)	5(0)	-	-	-	-
45.	सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन	21(7)	-	7(1)	4(0)	9(6)	1(0)	-	-	-	-
46.	इस्पात	74(11)	-	23(4)	2(1)	2(2)	46(4)	1(0)	-	-	-
47.	वस्त्र	108(10)	4(0)	48(8)	4(2)	9(0)	43(0)	-	-	-	-
48.	पर्यटन	68(5)	3(1)	33(4)	5(0)	5(0)	22(0)	-	-	-	3
49.	जनजातीय कार्य	55(10)	2(1)	19(0)	3(1)	10(2)	21(6)	-	-	-	4
50.	शहरी विकास	168(27)	7(2)	73(16)	12(5)	13(2)	63(2)	-	-	-	21
51.	जल संसाधन	170(52)	12(5)	72(24)	13(12)	9(2)	64(9)	-	-	-	10
52.	महिला एवं बाल विकास	100(24)	6(1)	41(12)	11(1)	16(5)	26(5)	-	-	-	1
53.	युवक कार्यक्रम और खेल	118(22)	8(3)	51(10)	5(0)	11(4)	43(5)	-	-	-	14
योग		9096(1708)	460(109)	3500(669)	411(149)	1109(223)	3610(558)	6(0)			318

विवरण - IV
उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में अधिकतम प्रश्नों के उत्तर दिए गए

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग का नाम	विषय	गूहीत प्रश्नों की संख्या		पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित	
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि	कृषि उत्पादन	2	20	-
2.	नागर विमानन	विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण	6	14	5
		एअर इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं	3	15	-
3.	रसायन और उर्वरक	भोपाल गैस त्रासदी	3	13	-
4.	वाणिज्य और उद्योग	आयात/निर्यात	6	29	5
5.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	स्पैक्ट्रम	3	20	1
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	मूल्य-वृद्धि	1	21	4
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1	15	5
		खाद्यान्न का सड़ना/खराबहोना	4	31	-
		चीनी/गन्ना	1	15	5
7.	पर्यावरण और वन	पर्यावरणीय स्वीकृति	2	16	-
8.	विदेश	पाकिस्तान	4	19	10

1	2	3	4	5	6
9.	वित्त	बैंकों का कार्यक्रम	8	23	-
10	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	4	19	-
11	गृह	प्राकृतिक आपदाएं	4	11	-
.		नक्सलवाद	15	52	12
.		आतंकवाद	3	15	5
12	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	सौर ऊर्जा	2	14	-
13	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	पेट्रोल की कीमतें	7	16	-
14	विद्युत	विद्युत परियोजनाएं	1	18	-
15	रेल	रेल परियोजनाएं	2	18	2
.		रेल लाईनें	3	17	4
16	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	8	62	-
17	ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	3	16	-
.		एम जी एन आर ई जी ए	2	14	-
18	वस्त्र	बुनकर	1	13	-
19	जल संसाधन	सिंचाई	1	13	-
.		जल परियोजनाएं	2	19	-

20	युवक कार्यक्रम और खेल	राष्ट्रमंडल खेल	10	19	5
----	-----------------------	-----------------	----	----	---

विवरण-V

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में जिन 428 विवरणों को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, उनकी प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेज दी गई थी ताकि उन्हें 16 जुलाई, 1952 को सभा में सभापति द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रश्नों का समय आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व सदस्यों में वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन विवरणों में से प्रत्येक विवरण की एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों की सीटों पर भी रख दी गई थी। इन विवरणों की अतिरिक्त प्रतियां अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए लॉबी में काउन्टर पर रख दी गई थी।

विवरण - VI
अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला सार

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1.	राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तैयारियां	श्री जावडेकर	प्रकाश	युवक कार्यक्रम और खेल	उत्तर दिया गया	5
2.	नक्सलवाद से निपटने के लिए संयुक्त कमान	श्री जावडेकर	प्रकाश	गृह	अस्वीकृत	-
3.	मुम्बई पत्तन न्यास में क्लोरीन गैस का रिसाव	श्री जावडेकर	प्रकाश	पोत परिवहन	उत्तर दिया गया	-
4.	देश में बम विस्फोट	श्री साबिर अली		वित्त	अस्वीकृत	-
5.	देश में बम विस्फोट	श्री मोहम्मद अदीब		गृह	अस्वीकृत	-
6.	वाचन वैकल्प (डिस्लैक्सिक) व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान	श्री तरुण विजय		सामाजिक न्याय और अधिकारिता	अस्वीकृत	-
7.	कश्मीर घाटी में अलगाववादियों का सिक्का चलना	श्री तरुण विजय		गृह	अस्वीकृत	-
8.	हज यात्रा-2010 के लिए असंतोषजनक प्रबंध	श्री मोहम्मद अदीब		विदेश	अस्वीकृत	-
9.	हज यात्रा-2010 के लिए पार पत्र जारी करने में विलंब	श्री मोहम्मद अदीब		विदेश	अस्वीकृत	-
10.	कश्मीर घाटी में दुष्कर स्थिति	श्री राम पासवान	विलास	गृह	अस्वीकृत	-
11.	सेना में राशन के प्रबंधन में भ्रष्टाचार	डा. वाघमरे	जनार्दन	रक्षा	अस्वीकृत	-
12.	तिरुनलवेली-तूतीकोरिन राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण होना	श्री पॉल पांडियन	मनोज	सड़क परिवहन और राजमार्ग	अस्वीकृत	-
13.	असम में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हमले	श्री जावडेकर	प्रकाश	गृह	उत्तर दिया गया	-
14.	अल्पसंख्यकों के चिकित्सा सुविधाएं	श्री मोहम्मद अदीब		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-

15.	दिल्ली में डेङ्गू के मामले	श्री मोहम्मद अदीब	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण गृह	अस्वीकृत I	-
16.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	श्री राम विलास पासवान		व्यपगत	-
17.	पाकिस्तान के परमाणु बमों से निपटने के उपाय	श्री वाई पी. त्रिवेदी	रक्षा	अस्वीकृत I	-
18.	जलपोतों के आपस में टकराने के कारण हुआ तेल रिसाव	श्री राजीव प्रताप रूडी	पर्यावरण और वन	उत्तर दिया गया	5
19.	लेह व लद्दाख में बादल फटने से हुई क्षति	श्री प्रकाश जावडेकर	गृह	अस्वीकृत I	-
20.	लद्दाख में बादल फटने के कारण आई तात्कालिक बाढ़ में नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों का बह जाना	श्री राजीव चन्द्रशेखर	रक्षा	अस्वीकृत	-
21.	वित्तीय क्षेत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किया जाना	श्री राजीव चन्द्रशेखर	वित्त	अस्वीकृत	-
22.	विमान कम्पनियों की बकाया राशियां	श्री साबिर अली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	अस्वीकृत	-
23.	बिहार में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दल का दौरा	श्री राम कृपाल यादव	कृषि	अस्वीकृत	-
24.	देश में स्वाइन फ्लू के मामलों में वृद्धि	श्री प्रकाश जावडेकर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	अस्वीकृत	-
25.	देश में मलेरिया के	श्री प्रकाश	स्वास्थ्य	अस्वीकृत	-

	मामलों में वृद्धि	जावडेकर	और परिवार कल्याण		
26.	अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामले	डा. भालचन्द्र मुणगेकर	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	व्यपगत	-
27.	केयर्न एनर्जी और वेदान्त रिसोर्सज के बीच सौदा	श्री प्रकाश जावडेकर	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	अस्वीकृत	-

विवरण-VII
प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

झायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय	निपटान	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अल्पविकसित नक्सल प्रभावित जिले	श्री मणिशंकर अय्यर	प्रधान मंत्री	अस्वीकृत	-
2.	शिक्षकों की कमी	श्री राम विलास पासवान	मानव संसाधन विकास	चर्चा की गई*	-
3.	शिक्षकों की कमी	श्री राजीव प्रताप रूडी	मानव संसाधन विकास	चर्चा की गई*	10
4.	शिक्षकों की कमी	श्री राजीव प्रताप रूडी	मानव संसाधन विकास	चर्चा की गई*	*
5.	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	श्री सैयद अजीज पाशा	अल्पसंख्यक कार्य	चर्चा की गई#	-
6.	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	श्री मोहम्मद अदीब	अल्पसंख्यक कार्य	चर्चा की गई#	7
7.	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	अल्पसंख्यक कार्य	चर्चा की गई#	*
8.	रेलों के पटरियों से उतरने के संदेहास्पद मामलों सहित नक्सली हमले	श्री राम दास अग्रवाल	गृह	व्यपगत	*
9.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की पहचान किया जाना	श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल	प्रधान मंत्री	व्यपगत	-
10.	बम विस्फोट के मामलों में शामिल व्यक्ति	श्री मोहम्मद अदीब	गृह	अस्वीकृत	-
11.	निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम्स में शोषण किए जाने की परिपाटियां	प्रो. पी. जे. कुरियन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	व्यपगत	-
12.	नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक	श्री प्रकाश जावडेकर	गृह	व्यपगत	-

*इस विषय पर आधे घंटे की एक चर्चा के रूप में 25 अगस्त, 2010 को चर्चा की गई थी।
इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के रूप में 17 अगस्त, 2010 को चर्चा की गई थी

विवरण-VIII

राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार

क्रम संख्या	दिनांक	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न संख्या जिसके संबंध में वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
1.	28.7.2010	श्री आर.पी.एन. सिंह	अतारांकित प्रश्न सं 3667	28.4.2010	जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सड़कों को प्राथमिकता
2.	18.8.2010	श्री अजय माकन, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारांकित प्रश्न संख्या 324	28.7.2010	राज्यों के बीच सीमा विवाद
3.	31.8.2010	श्री एस. एस.पलानिमनिकम वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारांकित प्रश्न संख्या 2442	17.8.2010	अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया ऋण
4.	31.8.2010	श्री एस.गांधी सेलवन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	तारांकित प्रश्न संख्या 330	17.8.2010	देश में स्त्री-पुरुष अनुपात में अन्तर

विवरण-IX

राज्य सभा में पूछे गए और उत्तर दिए गए प्रश्नों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य

1.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय रखा गया था	23
2.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय नहीं था	शून्य
3.	उन बैठकों की संख्या जिन्हें बिना कोई कार्य संपन्न किए स्थगित कर दिया गया	1(26-07-2010)
4.	उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान प्रश्नों का समय तो रखा गया था परन्तु सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया गया	8 (27.7.2010 28.7.2010 29.7.2010 30.7.2010 03.08.2010 10.08.2010 18.08.2010 और 27.08.2010 को)
5.	निरस्त बैठकों की संख्या	1 (23.08.2010)
6.	हिन्दी में प्राप्त हुए प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) की संख्या	1708
7.	उन सदस्यों की संख्या जिनसे सूचनाएं प्राप्त हुईं	150
8.	तारांकित प्रश्नों के बैलेट में सर्वाधिक बार आने वाले किसी सदस्य का नाम	10 (श्री राम दास अग्रवाल)
9.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिये गये	76
10.	उन प्रश्नों की संख्या जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये	76
11.	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या	318
12.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके लिखित उत्तर राज्य सभा के पटल पर रखे गये	3884
13.	किसी एक सदस्य से प्राप्त हुई सर्वाधिक सूचनाएं	581(श्री मोहम्मद अली खान द्वारा)
14.	किसी एक सदस्य द्वारा पूछे गए सर्वाधिक अनुपूरक प्रश्न	6(श्रीमती विप्लव ठाकुर द्वारा)
15.	किसी एक सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	3(श्री रुद्रनारायण पाणि द्वारा 20.08.2010 को)

16.	जिस दिन तारांकित प्रश्न सूची में 20 से कम प्रश्न थे	शून्य
17.	एक दिन की सूची में रखे गए अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	124 (24.07.2010 को)
18.	उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	8 (19.08.2010 को)
19.	उन प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	5 (17.08.2010 को)
20.	सत्र आरंभ होने के बारे में संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् किसी एक दिन में प्राप्त हुई सूचनाओं की अधिकतम संख्या	804 (13.07.2010)
21.	किसी एक विषय पर उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिनका मौखिक उत्तर दिया गया हो	3(नक्सलवाद के संबंध में)
22.	किसी एक प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	5
23.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	770 (गृह मंत्री को)
24.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित/गृहीत प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	319 (गृह मंत्री को)
25.	किसी एक मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	9(रेल मंत्री द्वारा)
26.	किसी एक मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए अनुपूरक प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	33 (रेल मंत्री द्वारा)
27. उन प्रश्नों की संख्या जिनका उत्तर प्रभारी मंत्री की जगह अन्य मंत्री ने दिया	शून्य
28.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त प्रश्नों की औसत संख्या	379
29.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या	3.3
30.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या (केवल उन बैठकों के लिए जब प्रश्न काल हुआ था)	5.43
31.	प्रत्येक बैठक में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	13.83
32.	जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	4.18

33. मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया औसत समय 18.16 मिनट
34. प्रश्नों के समय से आधे घण्टे पूर्व राज्य सभा के सूचना कार्यालय और दीर्घा को भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विवरणों की कुल संख्या 428
35. किसी एक दिन में प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सभा के सूचना कार्यालय को भेजे गए विवरणों की सर्वाधिक संख्या 20
(30.07.2010,
06.08.2010,
10.08.2010,
16.08.2010
18.08.2010 और
25.08.2010 प्रत्येक दिन)
36. सूचना कार्यालय और दीर्घा को भेजे गए प्रश्न के संदर्भ में राज्य सभा के पटल पर रखा गया सबसे बड़ा विवरण 12 पृष्ठ (तारांकित प्रश्न संख्या 349 दिनांक 18.08.2010 के संदर्भ में)
37. राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की कुल संख्या 4

विवरण - X

राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सभापति/उपसभापति द्वारा की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/निर्णय	तारीख	की गई टिप्पणियां/दिए गए निदेश/ निर्णय
1	2	3	4
1.	माननीय सभापति	04.08.2010	जब श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 143 के संबंध में सुश्री मेबल रिबैलो द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तब माननीय सभापति ने उत्तर को संक्षिप्त करते हुए यह टिप्पणी की: "क्या आप अपने प्रश्न और उत्तर तक ही सीमित रहेंगे xxx xxx xxx हम प्रश्न के विषय क्षेत्र को विस्तारित नहीं करेंगे।"
2.	माननीय सभापति	09.08.2010	"बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" से संबंधित तारांकित प्रश्न सं. 204 के अनुपूरक प्रश्नों के दौरान जब कुछ सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे तब माननीय सभापति ने यह टिप्पणी की: "अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार केवल उस सदस्य को ही है जिसके प्रश्न को स्वीकृत किया गया है अन्य किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सभा पीठ की इच्छा पर निर्भर है।"
3.	माननीय सभापति	08.12.2009	प्रश्नों के समय के प्रारम्भ में ही, माननीय सभापति ने निम्नलिखित टिप्पणी की: "माननीय सदस्यों, यह देखा गया है कि प्रश्नों के समय के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के समय कई बार, ऐसे मामले उठाने के प्रयास किए जाते हैं जो स्वीकृत प्रश्न की परिधि से बाहर हाते हैं।" सदस्यों को स्मरण कराया जाता है कि अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से ही निःसृत होने चाहिए। पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों को संक्षिप्त, विशिष्ट, संगत और मुख्य प्रश्न की परिधि के अन्तर्गत ही होना चाहिए। सदस्यों को कार्यवाही के लिए सूचना अथवा सुझाव देने के बजाए

			<p>सूचना मांगनी चाहिए। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों की भूमिका बांधने से बचना चाहिए। मंत्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनुपूरक प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें और जब अनिवार्य हो तब ही ब्यौरे प्रदान करने की पेशकश करें। सभापीठ इस संबंध में सभी सदस्यों और मंत्रियों का सहयोग चाहती है ताकि प्रश्नों के समय के दौरान अधिकतम प्रश्नों को शामिल किया जा सके।</p>
4.	माननीय सभापति	16.08.2010	<p>"जलपोतों के आपस में टकराने के कारण हुए तेल रिसाव" से संबंधित श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा अल्प सूचना प्रश्न संख्या को उस दिन सभा में उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। माननीय सभापति ने सदस्य और संबंधित मंत्री दोनों के अनुरोध पर इस प्रश्न को 17.08.2010 के लिए स्थगित कर दिया।</p>
